भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3174

गुरूवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन

3174 श्री के. आर. सुरेश रेड्डीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत आने वाले चिकित्सा पर्यटकों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) रोगियों द्वारा प्राप्त प्रक्रियाओं/परामर्शों की श्रेणी सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं से संबंध रखने वाले मरीज़ों की सूचित सहमति, चिकित्सीय कदाचार और आंकड़े सुरक्षा से संबंधित चिंताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए विनियामक ढ़ांचों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि के कारण स्थानीय रूप से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव न पड़े तथा उपचार की आवश्यकता वाले संवेदनशील भारतीय नागरिकों की अपेक्षा विदेशी रोगियों को प्राथमिकता न दी जाए?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख 5 स्रोत देशों से भारत आने वाले चिकित्सा पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**देश/श्रेणी**	**2022**	**2023**	**2024**
1	बांग्लादेश	3,26,805	4,99,951	4,82,336
2	इराक	30,701	28,758	32,008
3	सोमालिया	1,006	15,947	11,717
4	ओमान	11,121	13,397	10,431
5	उज्बेकिस्तान	6,768	7,081	8,921
अन्य		98,397	94,222	98,974
चिकित्सा प्रयोजन के लिए कुल विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए)		**4,74,798**	**6,59,356**	**6,44,387**

(ख): पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक रोगी के विवरण या उनके द्वारा प्राप्त चिकित्सीय प्रक्रियाओं और परामर्शों की विशिष्ट श्रेणी के संबंध में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में प्रचलित विशिष्ट उपचारों के संबंध में कोई औपचारिक आकलन नहीं कराया है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और निरोगता पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है, जिसे एक संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग के हितधारकों को परिचालित किया गया है। राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) गुणवत्ता और मानकीकृत देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों, निरोगता केंद्रों और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं के लिए मान्यता प्रदान करता है।

(घ): चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटक स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य का विषय है। भारत सरकार ने विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 के शहरों में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के निर्माण के लिए ऋण हेतु विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चिकित्सा पर्यटन का विकास मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बनाने के बजाय उसे संपूरित करे। इस पहल का उद्देश्य देश की समग्र स्वास्थ्य देखभाल क्षमता का विस्तार करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रोगियों और घरेलू आबादी दोनों को सहायता मिल सके।

*****